सं0-11034/07/2018-रा.भा.(नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग, 'बी' विंग,
चौथी मंजिल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली,
दिनांक : 30 अगस्त, 2018

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: हिंदी दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़ा/ माह - 2018 के आयोजन के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के का.ज्ञा. सं. 1/14034/2/87-रा.भा.(क-1) दिनांक 21.04.1987 का अवलोकन करें, जो हिंदी दिवस/सप्ताह/ पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में है। हिंदी भाषा के देशव्यापी प्रसार और स्वीकार्यता को देखते हुए 14 सितम्बर, 1949 को इसे संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस दिवस की स्मृति में प्रति वर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

2. संविधान की मूल भावना है कि सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के प्रमुखों का यह उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा अधिनियम, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग से जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. अत: सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़ा/ माह का आयोजन किया जाए। पखवाड़ा की अवधि इस प्रकार रखी जाए कि हिंदी दिवस 14 सितम्बर उसमें शामिल हो। पखवाड़े के दौरान इस तरह के आयोजन किए जाएं जो अधिकारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए सक्षम बनाए तथा व्यावहारिक रूप से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग भी बढ़े। साथ ही, इनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा टिप्पणी, मसौदे, पत्राचार और प्रपत्र जैसे कार्य मूल रूप में हिंदी में किए जाने पर बल दिया जाए, ताकि आमजन को बेहतर सेवाएँ व सुविधाएं मिल सकें। इस क्रम में यह भी अनुरोध है कि आयोजनों में यथासंभव सादगी व मितव्ययता बरती जाए।

4. उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं आदि को भी आवश्यक निदेश जारी करें। यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को अवगत करायें।

(शैलेश)
सचिव (राजभाषा)

<u>भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।</u>